



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत में शहरी संकट गहराता जा रहा है क्योंकि राज्य शहर-स्तरीय शासन को बाधित कर रहे हैं

www.nextias.com

भारत में शहरी संकट गहराता जा रहा है क्योंकि राज्य शहर-स्तरीय शासन को बाधित कर रहे हैं

संदर्भ

- शहरी भारत में तीव्र, अव्यवस्थित विकास के भार में वृद्धि हो रही है, जहाँ जाम नालियाँ, विषैली वायु, जलमग्न सड़कें और जर्जर होती अधोसंरचना जैसी समस्याएँ सामने आ रही हैं — जो यह दर्शाती हैं कि शहर-स्तरीय शासन को सशक्त बनाने की तत्काल आवश्यकता है, जिसे अक्सर राज्य सरकारों द्वारा बाधित किया जाता है।

भारत में शहरी शासन के बारे में

- भारत का शहरी परिदृश्य तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अधोसंरचना विस्तार और बदलते शासन ढांचे के कारण गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
- वर्तमान में भारत की 30% से अधिक जनसंख्या शहरों में निवास करती है और देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 70% योगदान देती है।
- अनुमान है कि 2050 तक यह जनसंख्या लगभग 50% तक पहुँच सकती है।

शहरी भारत में शासन संकट

- **संवैधानिक ढांचे का अधूरा वादा:** 1992 का 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (CAA) ने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे उन्हें शहरी विकास और सेवा वितरण के लिए स्वशासी संस्थाओं के रूप में परिकल्पित किया गया।
 - संविधान की 12वीं अनुसूची में इन निकायों को 18 कार्य सौंपे गए, जैसे शहरी नियोजन, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन।
 - लेकिन 2024 की CAG ऑडिट में यह उजागर हुआ कि औसतन केवल 18 में से 4 कार्य ही इनके पूर्ण नियंत्रण में हैं, जबकि राज्य सरकारें और अर्ध-सरकारी एजेंसियाँ स्थानीय शासन में बार-बार हस्तक्षेप करती हैं।
- **प्रशासनिक स्वायत्तता की कमी:** ULBs प्रायः अपना स्टाफ स्वयं नियुक्त नहीं कर सकते — कर्मियों का मूल्यांकन राज्य प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है, जिससे गंभीर स्टाफ की कमी होती है।
 - उदाहरण के लिए, शिमला नगर निगम को 720 कर्मियों की आवश्यकता थी, लेकिन केवल 20 नए पदों की स्वीकृति मिली।
 - 18 राज्यों में, सभी स्वीकृत पदों में से एक-तिहाई रिक्त हैं, जिससे ULBs की आवश्यक कार्यों को पूरा करने की क्षमता बाधित होती है।
- **लोकतांत्रिक कमी और संस्थागत उपेक्षा:** 74वें संशोधन ने जवाबदेही और समन्वित योजना सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग (SEC), जिला योजना समिति (DPC) और महानगरीय योजना समिति (MPC) जैसे संस्थागत तंत्रों की स्थापना का प्रावधान किया। लेकिन 2024 की CAG ऑडिट में इन प्रावधानों की व्यापक उपेक्षा पाई गई:
 - 17 राज्यों के 2,625 ULBs में से 61% (1,600) में निर्वाचित परिषद नहीं है।
 - केवल पाँच राज्य ही महापौरों की प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नियुक्ति करते हैं।
 - केवल 10 राज्यों ने DPCs का गठन किया है, और मात्र तीन ने वार्षिक जिला योजनाएँ तैयार की हैं।
 - नौ राज्यों में MPCs का गठन अनिवार्य है, लेकिन केवल तीन में ही कार्यशील समितियाँ हैं।

- **वित्तीय संकट और राजकोषीय निर्भरता:** कई राज्य नियमित रूप से राज्य वित्त आयोग (SFC) का गठन करने में विफल रहे हैं, जिससे वित्तीय हस्तांतरण में देरी होती है और स्थानीय वित्त कमजोर होता है।
- CAG के अनुसार, 15 राज्यों में ULBs को अनुशंसित धनराशि के आंशिक निर्गमन के कारण औसतन ₹1,606 करोड़ की कमी का सामना करना पड़ा।
- इसके अतिरिक्त, संपत्ति कर एकत्र करने का अधिकार होने के बावजूद, ULBs स्वतंत्र रूप से कर दर तय या संशोधित नहीं कर सकते, और कई कर अभी भी पुराने मूल्यों पर आधारित हैं।
- इसका परिणाम है कि 11 राज्यों में व्यय-राजस्व अंतर 42% है, जिससे ULBs को अपने कुल धन का केवल 29% ही विकास गतिविधियों के लिए आवंटित करना पड़ता है — जो सतत अधोसंरचना और सेवा वितरण के लिए आवश्यक स्तर से काफी कम है।

शहरी शासन में प्रमुख प्रयास और पहलें

- **राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM):** शहरी भारत के लिए एक डिजिटल आधारभूत संरचना तैयार करने हेतु शुरू किया गया; यह नागरिक-केंद्रित शासन को सक्षम बनाता है, जैसे:
 - सुरक्षित डेटा साझाकरण के लिए इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX);
 - सहयोगात्मक शहरी तकनीक विकास के लिए SmartCode;
 - परियोजना निगरानी के लिए भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (GMIS);
- **स्मार्ट सिटी मिशन:** 100 शहरों को स्मार्ट अधोसंरचना, ई-गवर्नेंस और सतत शहरी नियोजन के साथ विकसित करने का लक्ष्य; एकीकृत कमांड सेंटर, बुद्धिमान यातायात प्रणाली और डिजिटल नागरिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **AMRUT (अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन):** बुनियादी शहरी अधोसंरचना जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी और गैर-मोटर चालित परिवहन में सुधार को लक्षित करता है; शहरी नियोजन और नगरपालिका वित्त में सुधार को प्रोत्साहित करता है।
- **अर्बन रिफॉर्मर्स संकलन (NIUA):** वित्तीय प्रबंधन, ई-गवर्नेंस और गरीब-हितैषी सुधारों में सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन; JnNURM के अंतर्गत PEARL पहल के माध्यम से सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देता है।
- **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी):** स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित; कचरा-मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल शुरू किए गए।
- **ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक:** शासन, जीवन गुणवत्ता और स्थायित्व के आधार पर शहरों का मूल्यांकन करते हैं; डेटा-आधारित निर्णय लेने और नागरिक प्रतिक्रिया तंत्र को प्रोत्साहित करते हैं।
- **भारत के शहर-प्रणालियों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASICS):** शहरों में नगरपालिका प्रदर्शन और शासन गुणवत्ता को ट्रैक करता है।

भारत में शहरी शासन को सशक्त बनाने के लिए सुधार के मार्ग

- **प्रशासनिक स्वायत्तता:** ULBs को स्टाफ की नियुक्ति और प्रबंधन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए।
- **लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण:** राज्य सरकारों को सशक्त SECs के माध्यम से नियमित नगरपालिका चुनाव सुनिश्चित करने चाहिए।

- **कार्यात्मक DPCs और MPCs:** इन निकायों को क्षेत्रीय समन्वित योजना के लिए सक्रिय किया जाना चाहिए।
- **राजकोषीय सशक्तिकरण:** SFCs का समय पर गठन और क्रियान्वयन होना चाहिए, जिससे पूर्वानुमेय वित्तीय हस्तांतरण सुनिश्चित हो सके।
- **स्थानीय कर सुधार:** ULBs को स्थानीय करों का मूल्यांकन और संशोधन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिससे राजस्व सृजन में सुधार हो सके।

निष्कर्ष

- भारत का शहरी भविष्य उसके शहरी स्थानीय निकायों के पुनरुद्धार पर निर्भर करता है। यदि प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता नहीं दी गई, तो शहर कमजोर शासन और अपर्याप्त योजना के तहत संघर्ष करते रहेंगे।
- ULBs को 74वें संविधान संशोधन के ईमानदार क्रियान्वयन के माध्यम से सशक्त बनाना केवल एक संवैधानिक दायित्व नहीं — बल्कि एक विकासात्मक आवश्यकता है।
- सुदृढ़, जवाबदेह और वित्तीय रूप से स्वतंत्र स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से ही भारत के शहर अपने वादे को फिर से प्राप्त कर सकते हैं — जीवंत, उत्पादक और रहने योग्य स्थानों के रूप में।

Source: BS

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: राज्य सरकारों द्वारा सत्ता के केंद्रीकरण ने भारत में शहरी संकट को गहरा करने में किस प्रकार योगदान दिया है, इसका परीक्षण कीजिए। नगर-स्तरीय शासन पर इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए और शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने के उपाय सुझाइए।

